

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : नानू राम सैनी (आर.ए.एस)

खाद्य सुरक्षा परिवाद संख्या 16/2023

प्रार्थी / परिवादी

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी / गैरसायल—

1. राकेश कुमार मूथा पुत्र ओमप्रकाश मूथा जाति माहेश्वरी (मैसर्स ओमप्रकाश सुनील कुमार, चवा रोड़, ग्राम पोस्ट बायतु भोपजी, बायतु)
2. विनय कुमार तापड़िया पुत्र पुखराज तापड़िया जाति माहेश्वरी (मैसर्स तापड़िया मसाला उद्योग, आंटीफांटा गांव पोस्ट मारुड़ी, बाड़मेर)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी, बाड़मेर प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. राकेश कुमार मूथा पुत्र ओमप्रकाश मूथा जाति माहेश्वरी (मैसर्स ओमप्रकाश सुनील कुमार, चवा रोड़, ग्राम पोस्ट बायतु भोपजी, बायतु) अप्रार्थी संख्या 01 स्वयं उपस्थित।

—:आदेश:—

दिनांक:— 12.06.2024

प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 52 खाद्य और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी संख्या 01 की फर्म मैसर्स ओमप्रकाश सुनील कुमार, चवा रोड़, ग्राम पोस्ट बायतु भोपजी, बायतु पर निरीक्षण दिनांक 11.12.2022 के दौरान विक्रय हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (ब्राण्ड तापड़िया) में मिलावट का शक होने पर नियमानुसार कुल 02 किलोग्राम वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या पी-1794 अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ

SR


न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा

धनिया पाउडर (ब्राण्ड तापड़िया) का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **धनिया पाउडर (ब्राण्ड तापड़िया)** का नमूना जांच उपरांत रिपोर्ट L.S./2049/Act/2022/2050 दिनांक 20.12.2022 में उक्त नमूना **मिथ्या छाप (Misbranded)** पाया गया है। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. **अप्रार्थीगण** को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। **अप्रार्थी संख्या 02 खाद्य पदार्थ निर्माता** स्वयं उपस्थित। **अप्रार्थीगण** को प्रत्येक स्तर पर सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अपने प्रतिरक्षण में कोई ठोस एवं तथ्यपरक प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया है।

3. हमने प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। **अप्रार्थीगण** द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से संबंधित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। **अप्रार्थीगण** के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर की जांच उपरांत रिपोर्ट L.S./2049/Act/2022/2050 दिनांक 20.12.2022 में उक्त नमूना **मिथ्या छाप (Misbranded)** का पाया गया है। इस पर यह परिवाद प्रस्तुत होने पर **अप्रार्थीगण** को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। **अप्रार्थीगण** की ओर से **अप्रार्थी संख्या 02** दौरान सुनवाई स्वयं उपस्थित हुए तथा प्रकट किया कि **अप्रार्थी** की फर्म से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूने में पाई गई मिलावट अज्ञानता के कारण हुई है। भविष्य में ऐसे भूल दोहराई नहीं जायेगी। **अप्रार्थी** द्वारा उक्त नमूना **मिथ्या छाप (Misbranded)** का पाये जाने के लिए प्रथम अपराध मानते हुए नरम रूख अपनाये जाने का निवेदन किया गया। इस प्रकार **अप्रार्थी** की फर्म से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना **मिथ्या छाप (Misbranded)** का पाया गया है तथा खाद्य अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना




न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा

आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट से **अप्रार्थीगण** के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा **52** के तहत जुर्म प्रमाणित है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरुद्ध अपराध धारा **52** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से **अप्रार्थीगण** पर **रुपये 10000/- अक्षरे दस हजार मात्र** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। **अप्रार्थीगण** उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर संबंधित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफतर हों।
5. आदेश दिनांक **12.06.2024** को खुले न्यायालय सुनाया गया।



(Handwritten Signature)
(नानू राम सैनी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
बाड़मेर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर